

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-230/2026 दिनांक 19.08.2026)
***दिनांक-19.08.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा वध हेतु ले जायी जा रही एक गोवंश के साथ 02 गो-तस्करों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाए जाए रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.08.2026 थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा वध हेतु ले जायी जा रही एक गोवंश के साथ 02 गो-तस्कर अभियुक्तों 1- इस्तेयाक पुत्र स्व० रहमुद्दीन 2. फैजान पुत्र इस्तेयाक निवासी गण ग्राम बसहिया वनवीरपुर थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 168/2026 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 168/2026 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. इस्तेयाक पुत्र स्व० रहमुद्दीन निवासी बसहिया वनवीरपुर थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर
2. फैजान पुत्र इस्तेयाक निवासी बसहिया वनवीरपुर थाना को० पडरौना जनपद कुशीनगर

अभियुक्त इस्तेयाक का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 168/2026 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
2. मु०अ०सं० 239/17 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 332, 352, 353, 427, 504, 506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना को पडरौना कुशीनगर

बरामदगी विवरण-



गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 आदित्य शाहू थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
4. का0 हरिकेश कुमार थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
5. का0 संजीत राजभर थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगरकुशीनगर

थाना रविन्द्रनगर धूस पुलिस द्वारा अपहरण एवं फिरौती मांगने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 17.08.2026 को थाना रविन्द्रनगर धूस क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोहनरिया निवासी श्री संदीप शर्मा पुत्र श्री सुबाष शर्मा (निवासी थाना रविन्द्रनगर, जनपद कुशीनगर) के पड़रौना-कसया मुख्य मार्ग पर जानकीनगर स्थित मकान के बाहर उनके तीन वर्षीय बालक का अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर फिरौती मांगने की सूचना प्राप्त हुई थी।

सूचना का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर श्री केशव कुमार द्वारा थाना रविन्द्रनगर धूस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राकेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया गया। त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अपहृत बालक को मात्र चार घंटे के अन्दर ही दिनांक 17.08.2026 को अभियुक्त राममिलन यादव के घर से सुरक्षित बरामद कर लिया। उस समय अंधेरे का लाभ उठाकर अभियुक्त फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे।

आज दिनांक 19.08.2026 को अभियुक्त राममिलन यादव पुत्र राधाकृष्ण यादव, निवासी बगहवा, थाना धनहा, जनपद पश्चिमी चम्पारण (बिहार) को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका- अभियुक्त पिछले कई वर्षों से ग्राम सोहनरिया में निवास कर रहा था। वह गाँव के कई घरों में आना-जाना रखता था तथा बच्चों के साथ खेलता और उन्हें खिलाता था, जिससे गाँव के लोग उससे परिचित थे। दिनांक 17.08.2026 को शाम लगभग 03:00 बजे जब

संदीप शर्मा का तीन वर्षीय बालक मकान के बाहर खेल रहा था, तब अभियुक्त द्वारा बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। इसके पश्चात् उसने फोन के माध्यम से अपहृत बालक के पिता संदीप शर्मा से संपर्क कर फिरौती की मांग की।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 134/2026 धारा- 137(2),140(2),351(4) बीएनएस
थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

राममिलन यादव पुत्र राधाकृष्ण यादव निवासी बगहवा थाना धनहा
जनपद पश्चिमी चम्पारण राज्य बिहार

बरामदगी का विवरण-

अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल वाहन सं0 BR 22 AM 5006 हिरो
स्पलेण्डर प्लस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 सुर्यभान यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 शन्नी कुमार दुबे प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 महेन्द्र यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
5. का0 राहुल यादव सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर
6. का0 सूरज वर्मा थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर
7. का0 विशाल यादव थाना रविन्द्रनगर धूस जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर में वांछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.08.2026 को थाना खड्डा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है।

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 68 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में-



1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान- 58 वाहन
2. 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-91, व्यक्ति-234
3. वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
4. जनपद में कुल गिरफ्तारी- (कुल 72)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

